

[श्री आरिफ मोहम्मद खान]

बाकी माननीय सदस्य ने जो बात कही है। ऐसी ही बातों के निस्तारण के लिए और ऐसे मामलों को तय करने के लिए ही आयोग का गठन किया गया है और माननीय सदस्य अगर उसके संबंध में कुछ सुझाव देना चाहें तो वह सुझाव भी आयोग को दे दिए जाएंगे।

श्री सुशील चन्द महन्त : उसी कमीशन के बारे में ... ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : वह इससे अलग है। इसी कमीशन के बारे में।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Smt. Ram Dulari Sinha to make a statement about Assam.

V. Setting up of Commission of Inquiry into the incidents relating to clashes on Assam-Nagaland border.

[The Vice-Chairman (Shri Chimanbhai Mehta) in the Chair.]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir. The House will recall the statement of Home Minister on the 23rd July, 1985 in reply to the Calling Attention Motion pertaining to the armed clashes between the Assam and Nagaland Police in June, 1985 at Merapani on the Assam Nagaland border, that it had been decided to appoint a Commission of Inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952 to fully go into the facts pertaining to these clashes and to probe into the conduct of the officials of the two States and also to fix the responsibility. In this context, I rise to inform the House that the Government have decided that the Commission of Inquiry will be presided over by Shri B. C. Mathur, retired Secretary to the Government of India.

The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters:—

(i) the sequence of events leading to and all the facts relating to the said conflict in the Merapani area on the Assam-Nagaland border;

(ii) whether the conflict and the resultant loss of human life and damage to property could have been averted;

(iii) the role of the authorities in both the States in mobilizing and deploying armed police forces including village guards of Nagaland;

(iv) whether there were any lapses or dereliction of duty on the part of the officials and uniformed forces of the two State Governments;

(v) the deficiencies in the police set-up of both the States and suggestions for revamping the same.

The Commission may also recommend short-term and long-term measures to prevent recurrence of such incidents and in that context make such other recommendations and an interim report, as it may deem fit.

The Commission of Inquiry has been asked to submit its report within six months. The notification to this extent has been published in the Official Gazette yesterday.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया, यह जो कमीशन आफ इनक्वायरी एपोइन्ट किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन एक बात इस संबंध में मैं महोदय से जानना चाहता हूँ कि टर्म्स आफ रीफरेंस की जो पांच बातें इसमें कही गई हैं उन में जो घटनाएँ घटी थीं नागालैंड और असम के मुख्य मंत्री भी उनमें हैं, वह भी उन घटनाओं के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। चाहिए तो यह या कि वहाँ जो लासेज हुए वहाँ जो सारपीट हुई, जो कुछ लोग मारे गए उस सब को रोकने में ये मुख्य मंत्री असमर्थ रहे हैं। क्या इन सब लासेज की

जांच भी इस कमीशन के द्वारा की जाएगी और उन्हें दंडित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जायेंगे।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैंने अनरेबिल मेम्बर की बातों को सुना। मैंने जो बयान दिया है उसमें टर्म्स आफ रिफरेंस का जिक्र किया है। क्योंकि कमीशन आफ इनक्वायरी एपोइन्ट हो गया है और नोटिफिकेशन हो गया है इस लिए इस मौके पर मेरे लिए कुछ और कहना लाजिमी नहीं है। यदि कमीशन आफ इनक्वायरी के सामने माननीय सदस्य या और कोई जाकर कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते हैं।

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir in the Commission of Inquiry that has been appointed. I would like to know what are the terms of reference that have been given. Has the Government included within its scope not only the officers but also the responsible political personalities, including Ministers? Will the Government also include the Ministers and inquire into their conduct in regard to the present clash? I want to know all that. Secondly, Sir, what action will the Government take after the report is submitted? You know, Sir, that the Sundaram Commission was appointed in regard to the border dispute and the Sundaram Commission submitted its report. But no action was taken on that report and the result is that the border dispute is continuing. So, what action will the Government take after the report is received? Is the Government prepared to take drastic action on the basis of this inquiry committee report, I want to know, because everybody knows that these armed clashes between the police forces of the two States could not have taken place without the support of those people who are running these two States? Therefore, to find fault with the officials of the two sides at lower levels will not be sufficient. Therefore, I want to know whether the Government is going to take action, necessary action, if from the report it

is found that politicians were also responsible and involved, in the clashes will the Government take action against them? Is the Government going to take any immediate steps in regard to solving the so-called border dispute between Assam and Nagaland?

(उपसभापति महोदय)

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कमीशन बिठाया है मैं उसका स्वागत करता हूँ, परन्तु जो टर्म्स आफ रिफरेंस दिए गए हैं उस बारे में कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। इसमें पहला है कि ...

the sequence of events leading to and all the facts relating to the said conflict in the Merapani area.

यह सीक्वेंस आफ इवेंट्स आप किस तारीख से शुरू कर रहे हैं? आज से शुरू हो रहा है या जब से उनका आपस का झगड़ा चल रहा है, पिछले पन्द्रह साल से आप उसको जोड़ रहे हैं या जो तत्काल गड़बड़ हुई है उसी वक्त से इसको लेंगे? यह आप बताने की कृपा करें।

दूसरे अभी जो झगड़ा हुआ है पुलिस फोर्स में और अनआर्म्ड फोर्स में, जिसको सभी जानते हैं, जिसकी चर्चा भी यहां हुई है, परन्तु जो असली प्रॉब्लम है, जो वहां की सीमा का झगड़ा है, उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। इसके बारे में पूरा कमीशन मौन है। सरकार क्या बताने का प्रयास करेगी कि जो झगड़े की जड़ है उस के बारे में आप क्या कर रहे हैं या ऊपर की जो फुंसी है उसकी ही आप देखकर उसका इलाज कर रहे हैं

तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि इन सारे क्लेशेज में बहुत से ऐसे हथियार उपयोग में आए हैं कि जो पुलिस फोर्स के पास नहीं होते। तीन ईंच का मोटार उपयोग में आया है। यह कहां से आया? वार्डर सीक्योरिटी फोर्स के पास या आर्म्ड फोर्स के पास यह

श्री अश्विनी कुमार

होता है या विदेशों से आता है। पुलिस फोर्स के पास यह कसे आया? ऐसे हथियार पुलिस फोर्स के पास नहीं रहने चाहिए। इस के लिए आपने टर्म्स आफ रिफरेंस में कोई समावेश किया है या नहीं। इन तीन विषयों के बारे में मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय दो सदस्यों ने जिन बातों का तजकिया किया है और जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उनके बारे में मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, लेकिन यह जरूर कहना चाहती हूँ कि जब कमीशन सेट-अप हो गया तो अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि कोई चीज कहूँ कि इस चीज को उस में रखा जायेगा या नहीं रखा जायेगा और इन-क्वायरी कहां से शुरू होगी और कहां खत्म होगी। जो टर्म्स आफ रिफरेंस हैं उनका मैंने जिक्र कर दिया है।

जहां तक हथियारों की बात है, कालिग अटेंशन के दौरान जो बहस हुई थी उसमें काफी बातें आ चुकी हैं। अखबारों में भी बातें आई थी और इस स्टेज पर मेरे लिए कुछ कहना कि विदेश से हथियार आए या देश के किसी कोने से आए या किसी और स्रोत से आए मैं समझती हूँ लाजिमी नहीं है।

श्री अश्विनी कुमार : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो जांच हो रही है उसमें यह इनक्ल्यूडेड है क्या?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्यों ने जो इसका स्वागत किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय सदस्यों ने कहा कि रिपोर्ट को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जायेगा या नहीं, तो मैं यह आग्रह करूंगी कि 6 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। जब वह रिपोर्ट आयेगी तो सदन के पटल पर रखी जायेगी और उस पर क्या किया जायेगा यह आगे की बात है। कमीशन आफ इनक्वायरी के टर्म्स आफ रिफरेंस में है कि :

Government will consider taking action after receipt of Commission's report.

मैंने पहले भी बताया है :

Sequence of events—
period from April—June, 1985 to be included. Reference No. 3 is clear.

जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोग इन्तजार कीजिए कि रिपोर्ट आ जाये और सभा पटल पर रखी जाये।

THE COFFEE (AMENDMENT) BILL, 1985

THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF COMMERCE
AND SUPPLY (SHRI P. A. SANG-
MA): Madam, I beg to move:

“That the Bill further to amend
the Coffee Act, 1942, as passed by
the Lok Sabha,, be taken into con-
sideration.”

As the House is aware, the Coffee Board has been functioning with the main objective of development of coffee plantations and regulation of sale and export of the produce from such coffee plantations. The plan and non-plan expenditure involved is met from the proceeds of duties of customs and excise levied under the Coffee Act, 1942. The present rate of duty of customs and duty of excise on coffee has reached the upper ceiling of Rs. 11.80 per quintal as fixed under the Act. These rates have been there since 16-12-1977. The plan and non-plan expenditure of the Board excluding loans and subsidies has increased from Rs. 1.78 crore in 1978-79 to Rs. 3.90 crore in 1984-85. The budget estimates for 1985-86 are of the order of Rs. 6.45 crore. Expenditure however shot up tremendously over the year whereas rates of duty on customs and excise are at the same level as they were fixed on 16-12-1977. Under non-Plan, there has been increase in expenditure due to increase in DA, ADA, interim relief etc. on